पंचायती राज महासंघ पंचायत प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंच हैं, जो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त, सक्रिय, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रयासरत् है। वर्तमान में 25 जिलों के 40 ब्लाकों में लगभग 5000 निर्वाचित जन–प्रतिनिधि पंचायती राज महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर कार्यरत् है।

हमारा ई-मेल : pancham.news@gmail.com

पंचम्

पंचायती राज महासंघ का समाचार-पत्र

प्रति,

.....
.....
.....

वर्ष : 8 अंक : 9 | भोपाल, सितंबर 2014 | RNI MP 2007/20746 | पृष्ठ : 8 | मूल्य 5 रूपए

पंचायत राज महासंघ का संकल्प

शत प्रतिशत टीकाकरण की पहल

जिला एवं संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित, 250 पंचायत प्रतिनिधियों ने की भागीदारी

पंचायत का काम सिर्फ निर्माण कार्यो तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव विकास के कार्यों को अंजाम देना है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आजीविका तक लोगों की पहुंच हो सकें। इसी कड़ी में स्वास्थ्य और टीकाकरण एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिससे बच्चों के जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सकता है। यह बात प्रदेश के पांच जिलों में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान सामने आई। पिछले दिनों यूनिसेफ के सहयोग से समर्थन संस्था द्वारा ''बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण में पंचायत की भूमिका'' पर पन्ना, भिण्ड, रीवा, दमोह एवं टीकमगढ़ जिले में पांच जिला स्तरीय एवं दो संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और नियमित टीकाकरण में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका तथा उनके क्षमतावर्धन के लिए पंचायत राज महासंघ द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत अगस्त माह में जिला एवं संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए। प्रशिक्षण में सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए अभियान के अन्तर्गत बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु नियमित टीकाकरण की उपयोगिता तथा नियमित टीकाकरण के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि आमतौर पर पंचायत को महज एक निर्माण अभिकरण के रूप में देखा जाता है, जो कम लागत के निर्माण कार्य करवाने वाली एजेंसी है। किन्तु पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत की भूमिका एक स्वतंत्र निकाय के रूप में है। अतः पंचायत प्रतिनिधियों को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के आम लोगों की उनसे क्या अपेक्षा है? इन अपेक्षाओं में स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा एवं टीकाकारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पंचायतों की भूमिका पर भी बातचीत की गई। इसमें यह बात सामने आई कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ–साथ पंचायत स्तर पर पंचायत निकाय भी बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने दायित्वों को समझते हुये बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिये अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामवार स्वास्थ्य सेवाओं की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि पंचायत क्षेत्र के सभी बच्चों का टीकाकरण हुआ या नहीं? टीकाकरण एवं बाल स्वास्थ्य के संदर्भ में ग्राम स्तर पर ग्रामसभा ग्राम स्वास्थ्य एवं तदर्थ समिति को जवाबदेह बनाया जा सकता है, जो ग्राम स्तर पर इन गतिविधियों की सतत् निगरानी करें और यह सुनिश्चित हो सके कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए सहजता से उपलब्ध हो।

प्रशिक्षण के दौरान टीकाकरण की स्थिति का विश्लेषण किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि पंचायत प्रतिनिधि टीकाकरण की बात क्यों करें? टीका क्या है तथा क्यों आवश्यक है और कब और कहां लगवायें? यह जानना पंचायत प्रतिनिधियों के लिये क्यों जरूरी है? चर्चा के दौरान बताया गया कि पंचायत प्रतिनिधि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कार्य करें, जो सीधे गांव के बच्चों के जीवन और मृत्यु से जुड़े है। इससे वे लोगों के सम्मान का पात्र बनेंगे। **शेष पेज 2 पर**

टीकाकरण में पंचायत की भूमिकाः प्रशिक्षण में सामने आई प्रमुख बातें

- यह सुनिश्चित करें कि समुदाय के सभी जाति, धर्म व वर्ग मे जन्मे बच्चों का जन्म पंजीकरण हो।
- सभी गर्भवती माताओं तथा बच्चों का पंजीयन आंगनवाड़ी केन्द्र में हो।
- प्रत्येक बच्चे को उम्र के अनुसार पूरे टीके लगे। कोई भी बच्चा छूटने न पाए तथा प्रत्येक बच्चे का एमसीपी कार्ड यूनिक आई.डी के साथ जारी हो।
- गांवों में स्थापित उप स्वाथ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम समय पर आएं और केन्द्र खोल कर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें।
- यह सुनिश्चित करें कि आशा गृह भेंट व समुदाय के उन्मुखीकरण मे सहयोग प्रदान करें।
- ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति की बैठकों का नियमित आयोजन हों एवं यह निगरानी करें कि आशा व ए.एन.एम. अपने दायत्वो का निर्वहन ठीक से कर रही है या नहीं। यदि इस बारे में उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो पंचायत उनकी दिक्कतों को संवेदनशीलता से हल करें।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजनों एवं अन्य दिनों में होने वाले टीकाकरणों में सहयोग प्रदान करें।

पंचम के जरिये संवाद की पहल

बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण पर पंचायतों के प्रयास एवं अनुभव प्रकाशित किए जाएंगे

बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण में पंचायत की भूमिका पर पंचम के माध्यम से संवाद की शुरूआत की गई है। इस बारे में जिला एवं संभाग स्तरीय प्रशिक्षणों में विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व सरपंच एवं सामजिक कार्यकर्ता श्री श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि हम अपनी ग्राम पंचायत में शत प्रतिशत टीकाकरण हासिल करने के लिए क्या करेंगे, इस बारे में हमारे अनुभवों को साझा करने तथा एक–दूसरे से सीख हासिल करने के लिए पंचम द्वारा पहल की गई है।

इसमें पंचायत प्रतिनिधि अपनी बात रख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज के विभिन्न आयामों पर चर्चा एवं संवाद हेतु पिछले कई सालों से पंचम का प्रकाशन मासिक रूप से किया जा रहा है। बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण में पंचायत की भूमिका पर रिपोर्टिंग एवं जानकारी के लिए पंचम में विशेष सामग्री प्रकाशित की जा रही है।

23 flrEcj ls j[kh tk,xh ipk;r puko dh ernkrk lwph

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 23 सितम्बर से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोगों के देखने के लिए रखी जाएगी। लोग कार्यालयीन समय में मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया हो तो वे अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा फार्म भरकर दे सकते हैं। इसी तरह यदि किसी मतदाता के नाम में कोई गलती हो तो वह उसमें संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि मतदाता सूची में ऐसे कोई नाम है जो वहां नही रहते है या फर्जी नाम हो तो उसे कटवाने के लिए भी आपत्ति फार्म भरकर दे सकते हैं। दावा एवं आपत्ति फार्म मतदाता सूची लेकर बैठने वाले प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध हैं। ये फार्म उनसे लेकर तथा भरकर उन्हें देकर पावती प्राप्त कर सकते है। सभी तरह के फार्म एवं दावा व आपत्ति की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।

पंचायत राज महासंघ...
पेज एक से जारी

पंचायत राज महासंघ की रणनीति

साथ ही स्वस्थ गांव के निर्माण के लिये ग्राम सभाओं के माध्यम से टीकाकरण को एक जन मुद्दा बनाने की आवश्यकता है। जिला एवं संभाग स्तरीय प्रशिक्षणों में स्रोत व्यक्ति द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण भारत में बाल मृत्युदर व नवजात शिशु मृत्यु के कुछ प्रमुख कारण हैं। मध्यम तथा निम्न आय वर्ग में होने वाली बाल मृत्यु का प्रमुख कारण निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, टेटनस जैसी बीमारी व इनके कारण होने वाला कुपोषण है।

मध्यप्रदेश में बाल स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े प्रदर्शित करते हुए स्रोत व्यक्ति ने बताया कि प्रदेश में नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर एवं मातृमृत्यु दर का टीकाकरण से सीधा संबंध है। जहां टीकाकरण का प्रतिशत कम है, वहां बाल व शिशु मत्युदर ज्यादा है। स्रोत व्यक्ति द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि बच्चों को कई गंभीर बीमारियां हो जाती है। इनमें से कई बीमारियों को टीकाकरण के जरिये रोका जा सकता है। इनमें खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, हिप निमोनिया मेनिनजाइटिस एवं टीबी जैसी बीमारी प्रमुख है। इन बीमारियों से बचाव का सबसे बेहतर उपाय समय पर बच्चों का नियमित टीकाकरण ही है। प्रशिक्षण में टीकाकरण के महत्व को स्पष्ट करने के बाद विभिन्न प्रकार के टीकों के लगने वाले स्थान, समय व संख्या को एक सरल सारणी के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई।

बच्चों को लगने वाले किस टीके को शरीर के किस अंग मे लगाना चाहिए, इस बात की जानकारी भी दी गई। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की भूमिका एवं दायित्वों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ ही यह भी जानकारी दी गई की पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों का यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि टीकाकरण प्रारंभ होने से पूर्व साफ–सफाई, टीकाकरण हेतु प्राप्त दवाइयों की स्थिति का अवलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि जो दवा लाई गई है, उपयुक्त है या नही ।

प्रशिक्षण के शामिल पंचायत राज महासंघ के प्रतिनिधियों ने नियमित एवं शत प्रतिशत टीकाकारण के लिए रणनीति तैयार की है। इसके अनुसार पंचायत प्रतिनिधि अपने–अपने क्षेत्र में टीकाकरण पर विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए गांव स्तर पर ग्रामसभा स्वास्थ्य एवं तदर्थ समिति को सक्रिय करेंगे। साथ ही आंगनवाडी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं तथा सभी समुदाय में जन्में सभी बच्चों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। मंगल दिवस से एक दिन पूर्व गृह भेंट करने का निर्णय लिया गया। जिनके घरों में बच्चे व गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें मंगल दिवस के दिन केन्द्र पर पहुंचा कर टीकाकरण किया जाएगा और ग्रामसभा में भी टीकाकरण के बारे में बातचीत होगी तथा उसकी समीक्षा की जाएगी।

प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में सभी सहभागी पंच–सरपंचों ने यह संकल्प लिया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में जाकर शत प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे।

कैस पहचानें 'टीका उपयोग करने योग्य है या नहीं'

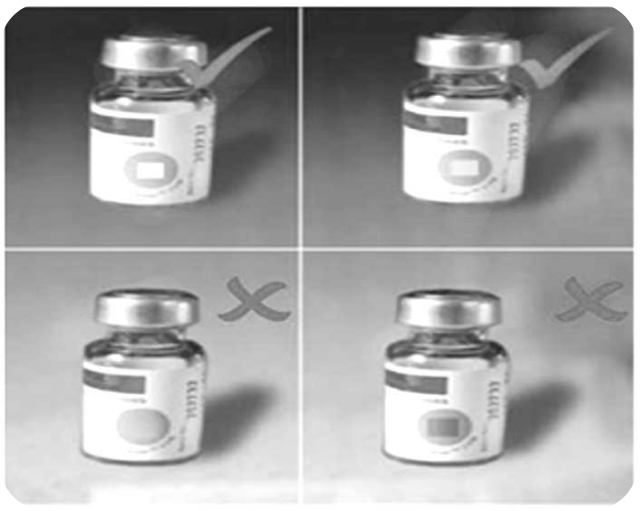

गांव तक पहुंचने वाला टीका एक निश्चित प्रक्रिया से होकर एएनएम तक पहुंचता है, जो गांव–गांव जाकर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करती है। टीके को विशेष तापमान पर विशेष साज–संभाल के साथ रखा जाता है। तापमान बढ़ने पर टीका खराब हो जाता है। अतः यह सवाल मन में आता है कि कैसे पहचानेंगे कि टीका उपयोग करने लायक है या नहीं।

प्रशिक्षण में इस पर चर्चा करते हुए बताया गया टीके (दवाई) की शीशी पर चिपके लेबल पर एक निशान दिया गया है। इस गोल निशान के बीच में एक सफेद चौकोर दिया गया है। यदि टीका अधिक तापमान में रहता है तो यह सफेद चौकोर नीला पड़ने लगता है और धीरे–धीरे गोल नीले सर्कल के समान उसका रंग हो जाता है (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है)। यह इस बात का संकेत है कि दवाई खराब हो गई है और उसका उपयोग नहीं किया जाए।

पंचायत प्रतिनिधियों को नियमित रूप से टीकाकारण केन्द्र पर यह देखना चाहिए कि जो टीके लगाए जा रहे हैं, वह सही अवस्था में है या नहीं। साथ ही टीकाकरण प्रारंभ होने से पहले साफ–सफाई, हाथ धोने के लिए साबुन–पानी की व्यवस्था, लोगों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह, आदि वहां है या नहीं यह भी देखना चाहिए और यदि टीकाकरण केन्द्र पर ये सुविधाएं नहीं है तो इनका प्रबंध ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए।

डायरिया पर काबू पाने में मिली सफलता

रीतेश कुमार द्वारा

flxjkyhA बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों में डायरिया यानी दस्त का नाम प्रमुखता से आता है। नदी, नालों और पोखरों का पानी पीने से यह बीमारी हो जाती है और बच्चे इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने से कई बार यह बीमारी जानलेवा हो जाती है। इसी तरह की एक घटना सिंगरौली जिले में किकराकोस गांव में जुलाई माह में घटित हुई। यहां दस्त की बीमारी फैलने लगी और 27 जुलाई को एक 11 वर्षीय बच्चे की इससे मृत्यु हो गई। आशा द्वारा इसकी सूचना तुरन्त ए.एन.एम. एवं बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दी गई। उन्होंने सेक्टर सुपरवाईजर को इसकी जानकारी दी। इस दौरान समर्थन के क्षेत्रीय समन्वयक श्री श्याम श्रीवास्तव भी संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे और दस्त पर नियंत्रण के उपायों में जुट गए।

इस तरह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और समर्थन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर दस्त से पीड़ित लोगों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। जो लोग गंभीर अवस्था में थे उन्हें तुरन्त अस्पताल भेजा गया। साथ ही दूषित पेयजल से बाकी लोग बीमार नहीं पड़े इसके लिए उन्हें साफ पानी तथा पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई।

समर्थन के क्षेत्रीय समन्वयक श्री श्याम श्रीवास्तव ने पूरी टीम को चार भागों में बांटा एवं खुद भी एक टीम के साथ गांव का भ्रमण किया। उन्होंने पीड़ित परिवार से जानकारी ली, जिससे यह बात सामने आई कि दस्त के समय लोगों ने ओ.आर. एसा का उपयोग नहीं किया। टीम ने घर–घर जाकर ओ.आर.एस. बनाने विधि बताई और उसकी खुराक की जानकारी दी। साथ ही ब्लाक मेडिकल ऑफिसर को पूरी स्थिति की जानकारी दी और कहा ही जल्दी से जल्दी गांव में डॉक्टर भेजे जाएं।

जुलाई माह में तीसरे हते में यहां दस्त का प्रकोप इतना अधिक था की यदि नियंत्रण के सघन उपाय नहीं किए जाते और बहुत जनहानि हो सकती थी। किन्तु समय पर सघन प्रयास, आरआरएस तथा जिंक के उपयोग के कारण यहां दस्त से होने वाले एक बड़े संकट को टालने में सफलता मिली।

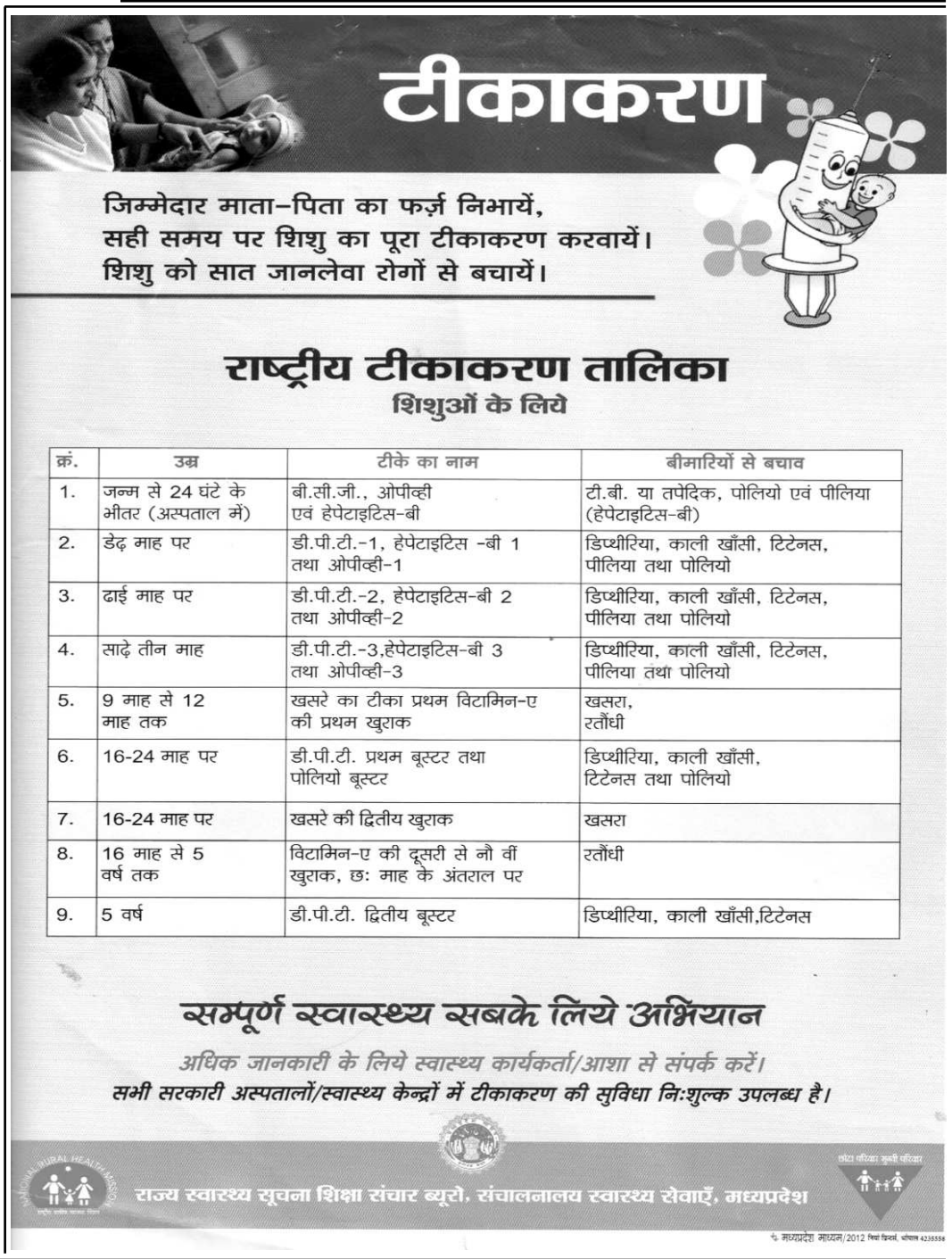

क्रं.	उम्र	टीके का नाम	बीमारियों से बचाव
1.	जन्म से 24 घंटे के भीतर (अस्पताल में)	बी.सी.जी., ओपीव्ही एवं हेपेटाइटिस-बी	टी.बी. या तपेदिक, पोलियो एवं पीलिया (हेपेटाइटिस-बी)
2.	डेढ़ माह पर	डी.पी.टी.-1, हेपेटाइटिस -बी 1 तथा ओपीव्ही-1	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
3.	ढाई माह पर	डी.पी.टी.-2, हेपेटाइटिस-बी 2 तथा ओपीव्ही-2	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
4.	साढ़े तीन माह	डी.पी.टी.-3,हेपेटाइटिस-बी 3 तथा ओपीव्ही-3	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
5.	9 माह से 12 माह तक	खसरे का टीका प्रथम विटामिन-ए की प्रथम खुराक	खसरा, रतौंधी
6.	16-24 माह पर	डी.पी.टी. प्रथम बूस्टर तथा पोलियो बूस्टर	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस तथा पोलियो
7.	16-24 माह पर	खसरे की द्वितीय खुराक	खसरा
8.	16 माह से 5 वर्ष तक	विटामिन-ए की दूसरी से नौ वीं खुराक, छः माह के अंतराल पर	रतौंधी
9.	5 वर्ष	डी.पी.टी. द्वितीय बूस्टर	डिप्थीरिया, काली खाँसी,टिटेनस

जमीनी प्रयास

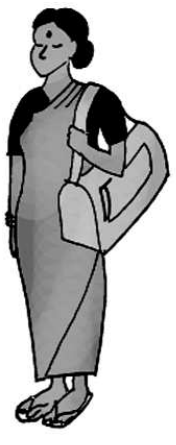

गांव में चिकित्सा सुविधा बड़ी चुनौती रही है। अक्सर गावों में अस्पताल नहीं होते हैं और बीमारी की स्थिति में लोग यह समझ नहीं पाते कि उन्हें इलाज के लिए कब और कहां जाना चाहिए। इस दशा में वे नजदीकी झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर होते हैं। किन्तु यह इलाज जोखिम भरा हो सकता है। गांव स्तर पर आरोग्य केन्द्र इस दिशा में खास भूमिका निभा सकता है।

यहां पदस्थ आशा कार्यकर्ताओं को खास ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वह बीमार व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भेज सकें और राहत के तौर पर उन्हें कुछ प्राथमिक दवाइयां जैसे दस्त होने पर ओआरएस आदि दे सकें। इसके लिए जरूरी है कि आरोग्य केन्द्र को बेहतर बनाया जाए। वह हर रोज समय पर खुले, वहां आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और लोग वहां आसानी से पहुंच सकें। समर्थन के कार्यकर्ताओं ने इस दिशा में आशा कार्यकर्ता, पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कुछ स्थानों पर विशेष पहल की है।

ऐसे सुधरी आरोग्य केन्द्र की सेहत!

आशा कार्यकर्ता, समर्थन और पंचायत के समन्वित प्रयासों से बेहतर हुए आरोग्य केन्द्र

समन्वय से हल हुई समस्या

gueku i;kn xIrk }kjk

Ih/khA जिले के विकासखण्ड कुसमी सिहावल के झगरहा गांव के आरोग्य केन्द्र में कई तरह की समस्याएं थीं। यहां आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं था और आशा कार्यकर्ता भी नियमित रूप से उपस्थित नहीं होती थी। इस बारे में आशा कार्यकर्ता का कहना था कि यहां न तो प्राथमिक दवाइयां उपलब्ध है और न कोई फर्नीचर।

समर्थन के कार्यकर्ताओं ने आरोग्य केन्द्र की इस समस्या के बारे में ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचों से बातचीत की और ग्रामवासियों से भी सुझाव मांगे। इस तरह प्रशासन, पंचायत, आशा तथा ग्रामवासियों के बीच समन्वय बनाकर समस्या हल करने का प्रयास किया। इसके लिए ब्लाक स्वास्थ्य अधिकारी से भी चर्चा कर समस्याओं के बारे में बताया गया। इस प्रयास का यह परिणाम हुआ कि प्रशासन द्वारा आरोग्य केन्द्र में सभी प्रकार की जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई गई। आज यहां सभी प्रकार की प्राथमिक दवाइयां उपलब्ध है, वहीं जांच मशीने, उपकरण, फर्नीचर तथा सामान रखने के लिए अलमारी भी उपलब्ध है। आशा कार्यकर्ता नियमित रूप से

यहां बैठती है और बीमार होने पर लोग यहां पहुंचते है। आशा कार्यकर्ता यहां आने वाले लोगों की बातों को ध्यान से सुनती है और प्राथमिक दवाइयां देने के बाद उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज के लिए भेजती है।

vkd"kd vkjkX; dUn % इसी विकासखण्ड के ग्राम नौगवां का आरोग्य केन्द्र आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। यहां की आशा कार्यकर्ता श्रीमती तारा गुप्ता ने इस आरोग्य केन्द्र को अच्छी तरह से सजाया–संवारा है। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से दीवार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लिखवाई है। साथ ही जिंक ओ.आर.एस. आधारित दस्त प्रबन्धन की जानक. ारी, दस्त से बचाव के तरीके के बारे में भी दीवार पर लिखवाया है। वे यहां सभी दवाइयां व्यवस्थित तरीके से रखती है एवं दवाइयों की जानकारी रखती है। जो बातें समझ में नहीं आती हैं, उनके बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू. से जानकारी हासिल करती है।

चुनौतियों से सफलता की ओर

I/kk'k feJk }kjk

flxjkyhA जिले के चितरंगी विकास खण्ड के दरबारी गांव में लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा पाना चुनौतीपूर्ण रहा है। दूरदराज में बसे होने के साथ ही यहां आवागमन का कोई सार्वजनिक साधन उपलब्ध नहीं है, जिससे लोग अपने निजी वाहनों से ही कहीं आ–जा सकते हैं। गरीब एवं सुविधाविहीन लोगों से लिए प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुं. चने में बहुत कठिनाई होती है। अतः आरोग्य केन्द्र यहां की एक बड़ी जरूरत के रूप में सामने आया है।

इस दशा में यहां की आशा कार्यकर्ता राजकुमारी आरोग्य केन्द्र के माध्यम से बेहतर सेवाएं देने का प्रयास कर रही है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धी यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने टीबी के मरीजों की पहचान कर उन्हें नियमित दवाई दिलवाने की व्यवस्था कायम की। इससे टीबी के कई मरीजों को इस गंभीर बीमारी से बाहर निकलने में मदद मिली, वहीं कई मरीज अब इस बीमारी से छुटकारा पाने की स्थिति में है।

इस गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र तथा अन्य कोई भवन नहीं होने के कारण आरोग्य केन्द्र आशा कार्यकर्ता के घर में ही संचा. लित किया जाता है। आशा कार्यकर्ता राजकुमारी बताती है कि इस केन्द्र में 16 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है। आरोग्य केन्द्र की सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति की नियमित रूप से बैठक की जाती है। बैठक में आरोग्य केन्द्र की स्थिति के बारे में बातचीत होती है और गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने के बारे में सभी सदस्य अपने–अपने सुझाव देते हैं।

पंचायत ने दी जगह

Ih/khA जिले के सेमरिया ब्लाक के मोहनिया गांव का आरोग्य केन्द्र आशा कार्यकर्ता के घर पर ही संचालित हो रहा था। इससे यहां कई तरह की दिक्कतें होती थी। जरूरत पड़ने पर लोग यहां नहीं पहुंच पाते थे। इस गांव में आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है। टीकाकरण स्कूल भवन में होता था। इस तरह यहां एक ऐसे भवन की जरूरत सामने आई जहां आरोग्य केन्द्र संचालित किया जा सकें और टीकाकरण के लिए भी बेहतर स्थान मिल सकें।

समर्थन के साथियों ने इस गांव में भवन की समस्या को हल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सरपंच से बातचीत की। गांव में साम. ुदायिक भवन उपलब्ध था, किन्तु उसका ताला तभी खुलता था, जब गांव में कोई कार्यक्रम हो। सरपंच से चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि क्यों न सामुदायिक भवन में आरोग्य केन्द्र स्थापित किया जाए और टीकाकरण भी वहीं पर हो। इस चर्चा के बाद गांव के सामुदायिक भवन में आरोग्य केन्द्र संचालित करने पर सहमति बनी। इस तरह पंचायत द्वारा तुरन्त सामुदायिक केन्द्र का एक कमरा आरोग्य केन्द्र के लिए दे दिया गया। आशा कार्यकर्ता सुधासिंह ने इस कमरों की दीवारों को स्वास्थ्य संबंधी पोस्टर्स और चित्रों से अच्छी तरह सजाया। इससे यह आकर्षक होने के साथ–साथ लोगों को संदेश भी देता है।

आरोग्य केन्द्र के नए भवन में आशा कार्यकर्ता अपनी सेवाएं अच्छी तरह से दे रही है। वह लोगों को प्राथमिक दवाएं देने के साथ ही अस्पताल भेजती है और स्वास्थ्य सलाह देती है। दस्त पर नियंत्रण के लिए आशा ने जिंक–ओआरएस को प्रचलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मिसाल बने आरोग्य केन्द्र

IrukA यह उन आरोग्य केन्द्रों की बात है, जो सतना जिले के रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आते हैं। वैसे यहां तो कई आरोग्य केन्द्र हैं, लेकिन चोरमारी एवं जमुना के आरोग्य केन्द्र देखकर लगता है कि यदि सभी आरोग्य केन्द्र इसी प्रकार से सुदृढ़ हो गये तो आरोग्य केन्द्र और क्लीनिक में कोई फर्क नहीं होगा।

ये आरोग्य केन्द्र सरकारी भवन में लगते हैं। जिस प्रकार केन्द्र सजे हैं, उसी प्रकार का काम भी है। आरोग्य केन्द्र में ममता, आस्था, प्रेरणा अभियानों के स्लोगन लिखे हैं तथा आवश्यक सामग्री, उपकरण एवं दवाइयां रखी है।

आरोग्य केन्द्र चोरमारी में संगीता आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है। वे 12 वी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त है एवं आगे की पढाई भी कर रही है। वे इस गांव के लोगों को स्वास्थ्य सलाह देती है। उन्होंने बताया कि "वे पिछले 6 वर्षो से इस कार्य में लगी है।" वे जिंक–ओआरएस के बारे में अच्छी तरह जानती है और उससे दस्त नियंत्रण का प्रयास करती हैं।

उस गांव में थोडी दूरी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र भी है। जिसे डिलेवरी प्वांइट भी बनाया गया है। उस केन्द्र की ए.एन.एम भी उसी बिल्डिंग में रहती है, ताकि लोगों को पूरे समय बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके।

ग्रामीण स्वच्छता संवाद

सितंबर 2014

अनीता ने दिखाई समग्र स्वच्छता की राह

xke iapk;r xqjkfM+;k oekZ esa tkjh gS gj ?kj 'kkSpky; dk vfHk;ku

आष्टा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत गुराड़िया वर्मा में समग्र स्वच्छता एक बड़ी चुनौती है। यहां ६०४ घरों में से १९८ घरों में ही शौचालय है। यानी बाकी ४०६ परिवार खुले में शौच के लिए विवश है। निर्मल सीहोर अभियान द्वारा गुराड़िया वर्मा की इसी चुनौती का सामना करते हुए समग्र स्वच्छता के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में कॉलेज में पढ़ने वाली अनीता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सबसे पहले अपने घर शौचालय बनवाया और अब वह अन्य ग्रामवासियों को शौचालय निर्माण के फायदे बताती है और उसके लिए उन्हें प्रेरित करती है।

vk"VkA गुराड़िया वर्मा की समग्र स्वच्छता की यात्रा यहां की कॉलेज छात्रा अनीता से शुरू होती है। निर्मल सीहोर अभियान के कार्यकर्ताओं ने जब यहां समग्र स्वच्छता पर चर्चा शुरू की और गतिविधियों का आयोजन किया तो अनीता ने उसमें सक्रिय भागीदारी की। अनीता बताती है कि स्वच्छता के लिए जरूरी है कि घर पर शौचालय हो। घर पर शौचालय नहीं होने से गांव में गंदगी तो फैलती ही है, साथ ही महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।'' इसी विचार के साथ अनीता ने अपने घर शौचालय बनाने की पहल की।

उल्लेखनीय है कि गुराड़िया वर्मा गांव में 67 प्रतिशत घरों में शौचलय नहीं है। इतने अधिक घरों का शौचालय विहीन होना एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती का सामना करते हुए निर्मल भारत अभियान के साथियों ने अप्रेल माह में अपने सघन गांवों की सूची में शामिल किया और यहां लोगों से संवाद कायम करने के लिए बैठकों की शुरूआत की। इसी क्रम में 5 मई को यहां के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिलाओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें 28 महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में खुले में शौच की स्थिति और उससे होने वाली दिक्कतों पर बातचीत की गई। इस दौरान बुधनी क्षेत्र के ग्राम रतनपुर में ''महिलाओं की मर्यादा'' पर बनी फिल्म दिखाई गई। बैठक में अनीता भी शामिल थी। अनीता बी.एसीसी की पढाई कर रही है। अनीता ने शौचालय बनवाने का समर्थन करते हुए संकल्प लिया कि सबसे पहले वह अपने घर शौचालय बनवाएगी।

अनीता ने पता लगाया कि कम लागत में कैसे शौचालय बनवाया जा सकता है। इस बारे में उन्होंने निर्मल भारत अभियान के कार्यकर्ताओं से जानकारी ली और शौचालय बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए अनीता ने खुद गड्डा खोदा, बाजार से सामग्री खरीदी और आखिरकार शौचालय बनाने में सफलता हासिल की। अनीता की इस मेहनत और हिम्मत का असर गांव के अन्य लोगों पर भी पड़ा। लोग कहते हैं कि जब अनीता अपने घर शौचालय बना सकती है तो हम क्यों नहीं? अनीता लोगों को शौचालय और स्वच्छता के फायदे बताती है। इस तरह अब गुराड़िया वर्मा गांव के लोग अपने घर शौचालय बनवाने में जुट गए हैं, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि जल्दी यह पंचायत समग्र स्वच्छता का खिताब हासिल करेगी।

शौचालय के बगैर स्वच्छता अधूरी : सुल्ताना

स्वच्छता में आड़े नहीं आई गरीबी, सुल्ताना ने बनवाया अपने घर शौचालय

bNkojA पैसों की तंगी के कारण शौचालय नहीं बनाने वालों के लिए कुड़ी गांव की सुल्ताना ने अच्छी मिसाल कायम की है। सुल्ताना का कहना है कि अन्य कार्यों में से थोड़ा–थोड़ा पैसा बचाकर सस्ता शौचालय बनाया जा सकता है। क्योंकि शौचालय की भी हमें उसी तरह जरूरी है, जिसमें तरह सामान्य जिन्दगी में अन्य चीजों की जरूरत होती है।

इछावर विकास खण्ड के इस गांव में निर्मल सीहोर अभियान द्वारा समग्र स्वच्छता पर लोगों से बातचीत की गई। रात्रि में समुदाय के साथ बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें गांव में महिला और पुरूष शामिल हुए। बैठक में गांव में स्वच्छता और शौचालय निर्माण पर बातचीत हुई, इसमें लोगों का सवाल था कि शौचालय बनवाने में कितने रूपए खर्च होंगे? इस सवाल के उत्तर में कार्यकर्ताओं ने गड्डे वाले सस्ते शौचालय की तकनीक बताई। यह तकनीकी यहां की सुलताना को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फैसला किया कि वे अपने घर तुरन्त शौचालय निर्माण का काम शुरू करेगी।

सुल्ताना मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इसके बावजूद उन्होंने शौचालय निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने अन्य खर्चों में से थोड़ा–थोड़ा पैसा बचाया और गड्डे की खुदाई कर शौचालय बनवाया। दीवार बनाने के लिए पैसे नहीं होने पर उन्होंने खजूर के पत्तों की दीवार बनाई।

सुल्ताना कहती है कि ''घर को हम कितना भी साफ–सुथरा क्यों न बना लें, किन्तु खुले में मल त्यागने से सब बेकार हो जाता है। क्योकि मक्खी, मच्छर आदि के माध्यम से मल घर में अंदर आ जाता है और हवा के जरिये बदबू भी फैलती है।'' सुल्ताना के इस कदम को देखकर आज गांव के अन्य लोग भी शौचालय निर्माण करवाने लगे है। इससे उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस गांव में सभी घरों में शौचालय होगा और यह ग्राम समग्र स्वच्छता हासिल करेगा।

शालाओं में शौचालय बनाने की तैयारी

,d lky ds vanj lHkh 'kkykvksa esa yM+fd;ksa ds fy, vyx 'kkSpky; gksxs

HkkikyA स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हर शाला में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की घोषणा पर काम शुरू हो गया है। सरकार सभी शालाओं में शौचालय बनाने के लिए विशेष फंड का इंतजाम करने जा रही है। केन्द्र सरकार का लक्ष्य है कि एक साल के भीतर सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बन जाने चाहिए। केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा स्वच्छता मंत्रालय इसके लिए फंड बढ़ाने का प्रस्ताव केबिनेट में रखने जा रहा है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा स्वच्छ जल और स्वच्छता मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुसार 2019 तक सभी के लिए स्वचछता का लक्ष्य हासिल करने में विभिन्न श्रेणियों के शौचालय बनाने के लिए धनराशि बढ़ाने के उद्देश्य से एक केबिनेट नोट तैयार किया गया है, जिसमें घरेलू शौचालयों की राशि 10,000 रूपए से बढ़ाकर 15,000 रूपए की जाएगी तथा स्कूली शौचालयों के लिए 35000 रूपए की जगह 54000 रूपए दिए जाएंगे। इसी तरह आंगनबाड़ी के शौचालयों के लिए 8000 रूपए की जगह 20,000 रूपए तथा सामुदायिक स्वचछता परिसर के लिए दो लाख रूपए की जगह छह लाख रूपए देने का प्रस्ताव है। पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन के अनुसार 15 अगस्त 2015 तक देश के प्रत्येक स्कूल में लडके–लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय होंगे।

मर्यादा के लिए आगे आ रही है महिलाएं

महिलाओं की पहल पर बसंतपुर में बन रहे हैं शौचालय

विकासखण्ड मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर बसे बसंतपुर की महिलाओं ने अपने गांव को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। वे गांव को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त करना चाहती है। यहां 20 महिलाओं का एक दल हर घर शौचालय के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा हैं। सबसे पहले इन महिलाओं ने अपने घर शौचालय बनवाए और उसके बाद ये गांव की अन्य महिलाओं को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित कर रही है। यहां महिलाएं खुद शौचालय के गड्डे खोद रही है। उनका कहना है कि मर्यादा और स्वच्छता के लिए शौचालय बहुत जरूरी है।

[kkl ckra

- बसतंपुर में रहने वाले 212 परिवारों में से सिर्फ 2 परिवारों में ही शौचालय थे। बाकी परिवार खुले में शौच के लिए विवश थे।
- निर्मल सीहोर अभियान में इस गांव को अपने सघन कार्यक्षेत्र की सूची में शामिल करते हुए यहां बैठकों का आयोजन शुरू किया।
- महिलाओं के लिए अलग से बैठकें आयोजित की गई। महिलाओं ने कहा कि यह उनका मुद्दा है और वे हर घर में शौचालय बनवाने की पहल करेगी।
- गांव में महिलाओं का 10 महिलाओं को एक समूह बनाया गया। इस समूह ने शौचालय बनवाने के लिए लोगों को तैयार करने की जिम्मदारी ली। समूह की महिलाओं ने तय किया कि हर परिवार में महिलाओं से बातचीत करेंगी और महिलाओं के माध्यम से शौचालय बनवाने की पहल करेंगी।
- शौचालय निर्माण के लिए पहले चरण में 20 परिवारों का चयन किया गया। इन परिवारों की महिलाओं ने खुद शौचालय के लिए गड्डे खोदे।
- गांव के बाकी घरों में शौचालय निर्माण का कार्य जारी है।

ul:YykxtA विकास खण्ड के बसंतपुर गांव में रहने वाले 212 परिवारों में से सिर्फ 2 परिवारों में ही शौचालय है। यानी 210 परिवार खुले में शौच करते हैं। गांव की केसरबाई कहती है कि ''शौचालय नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। उन्हें शौच के लिए सुबह जल्दी और रात को अंधेरे में जाना पड़ता है। साथ ही इससे गांव में गंदगी भी फैलती है। इसलिए हमारे लिए शौचालय बहुत जरूरी है।''

बसंतपुर में खुले में शौच की स्थिति को देखते हुए निर्मल सीहोर अभियान ने इसे अपने सघन कार्यक्षेत्र में शामिल करते हुए यहां समुदाय के साथ लगातार बैठकें एवं बातचीत शुरू की। ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंच से दो-तीन बार बातचीत की गई और तय किया गया कि गांव के सभी महिला – पुरूषों की बैठक बुलाकर शौचालय निर्माण के बारे में बात. चीत की जाए।

इस तरह जून माह में गांव में बैठक का सिलसिला शुरू किया गया। किन्तु बैठक में कुछ पुरूषों द्वारा नशे की हालत में बाधा उत्पन्न की जाने लगी। इस दशा में तय किया गया कि यहां महिलाओं के साथ बैठक की जाए। चूंकि शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें ज्यादा दिक्कत होती है, अतः उनकी अगुवाई में ही गांव में समग्र स्वच्छता की मुहिम चलाई जाए। इस तरह स्वच्छता के मुद्दे पर महिलाओं की बैठक शुरू की गई। 6 जून को आयोजित बैठक में 29 महिलाएं शामिल हुई। इस बैठक में ग्राम रतनपुर पर बनी फिल्म दिखाई गई और गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए बातचीत की गई।

महिलाओं ने खुले में शौच से होने वाली दिक्कतों को विस्तार से बताया। कई महिलाओं का कहना था कि वे दिन के समय शौच करने नहीं जा सकती, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है। इसके अगले दिन ग्राम पंचायत सचिव और महिलाओं के साथ एक और बैठक की गई, जिसमें 20 लोगों के नाम तय किए गए, जिनके घर पहले चरण में शौचालय निर्माण किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं एक ऐसा समूह उभरकर आए जिसने गांव में शौचालय निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी ली।

इस तरह बसंतपुर में शौचालय निर्माण महिलाओं का मुद्दा बना। पहले चरण में जिन 20 घरों को शौचालय निर्माण के लिए चुना था, उनमे शौचालय के गड्डे उन परिवारों की महिलाओं ने खोदे। आज इन सभी घरों में शौचालय निर्माण हो चुका है तथा बाकी घरों में निर्माण कार्य जारी है।

स्वच्छता से कम हो सकती है बाल मृत्यु

डायरिया से बचने के विभिन्न कारणों में से एक है-साबुन से हाथ धोना

साबुन से हाथ धोने पर डायरिया होने की संभावना 44 फीसदी कम हो जाती है। साबुन से हाथ धोने से पानी से होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचा जा सकता है और यह बहुत खर्चीला काम नहीं है। इसे सभी वर्ग के सभी क्षेत्र के लोग अपना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उनमें इसे लेकर पर्याप्त जागरूकता हो।'' सामान्य तौर पर लोग सादा पानी से, मिट्टी से या फिर राख से हाथ धोते हैं, जबकि ये इतने प्रभावी नहीं होते, इसलिए साबुन से हाथ धोने की आदत लोगों में विकसित करनी होगी, भले ही वे सस्ते एवं स्थानीय साबुन क्यों न उपयोग करें।

धार जिले के धरमपुरी विकासखंड के सनकोटा ग्राम पंचायत सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर सजग गांवों में से एक है। इस गांव में घुसने के पहले नाक पर हाथ रखना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। गांव में चारों ओर ताजगी एवं स्वच्छता का अहसास होता है। सभी घर में शौचालय, स्नानघर और वाटर रियूज सिस्टम लगा हुआ है। ऐसे में पिछले साल से पानी से होने वाली बीमारियों में भी कमी आई है। पिछले साल निर्मल ग्राम की उपाधि पाने वाला सनकोटा उन गांवों में से है, जो सिर्फ नाम के लिए निर्मल ग्राम नहीं है और न ही फिर से गंदगी के चपेट में आने वाला गांव है, बल्कि समय बीतने के साथ ही यहां के लोगों में स्वच्छता को लेकर चेतना का विकास हो रहा है। पहले इस गांव से बाहर निकलने वाली सड़कों के किनारे शौच की गंदगी पसरी हुई थी। मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में उल्टी-दस्त सहित पानी से होने वाली बीमारियों का प्रकोप ज्यादा रहता है। आदिवासी बहुल सनकोटा में कुशल जल प्रबंधन एवं स्वच्छता अभियान से बीमारी में कमी आई है।

गांव की सफाई से प्रेरणा लेकर आंगनवाड़ी में भी स्वच्छता का ख्याल रखा गया है। आंगनवाड़ी में शौचालय और हाथ धोने के लिए अलग पानी की व्यवस्था की गई है। इसी गांव में आदिवासी बालक आश्रम है, जहां 50 बच्चे रहते हैं। आश्रम में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए बच्चों को अलग से समझाया जाता है। नए बच्चों को पुराने बच्चे यह बतलाते हैं कि वे साबुन का उपयोग हाथ धोने में अवश्य करें, जिससे कि गंदगी से होने वाली बीमारियों की संभावना कम हो जाए। अब गांव की महिलाएं बताती हैं कि घर में शौचालय एवं स्नानघर होने से महिलाओं को सबसे ज्यादा सहूलियत हुई है। पहले खुले में शौच करना शर्मनाक था। दस्त होने पर महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सनकोटा के सभी घरों में वाटर रियूज सिस्टम लगा हुआ है। स्नानघर के पानी को रॉक फिल्टर के माध्यम से ग्रे वाटर में बदला जाता है और उसका इस्तेमाल शौचालय में फ्लशिंग के लिए किया जाता है. शौच के बाद मिट्टी के बजाय साबुन से हाथ धोने की परंपरा भी इस गांव में अब विकसित हो चुकी है, जिससे बीमारियों से बचने में हमें काफी मदद मिली है। निश्चय ही सनकोटा में अब साफ-सफाई की चमक है। लोगों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं ग्रामीण स्वच्छता के प्रति जागरूकता होने से सनकोटा सही मायने निर्मल ग्राम है। यदि इसी तरह की जागरूकता एवं उपाय अन्य गांवों में किए जाए, तो न केवल पानी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि बाल मृत्यु में कमी लाई जा सकती है।

– राजु कुमार

eujsxk % मजदूरी भुगतान का नया तरीका–3

कैसे होगा मूल्यांकन और मजदूरी भुगतान?

भारत सरकार द्वारा जारी मनरेगा के नए दिशा निर्देश पर केन्द्रित इस श्रृंखलाबद्ध लेख में इस बार मूल्यांकन और मजदूरी भुगतान के तरीके की जानकारी दी जा रही है। मनरेगा में समय पर मूल्यांकन नहीं होने तथा भुगतान में देरी होने की शिकायत सामने आती रही है। सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों में इस समस्या को हल करने का प्रयास किया गया है। इस आलेख में कुछ तकनीकी जानकारी दी गई है जो ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होगी।

मनरेगा के अंतर्गत काम का मूल्यांकन करवाने की जिम्मेदारी जनपद पंचायत की है और वहां पदस्थ इंजीनियर द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। नई व्यवस्था में काम पूरा होने तथा मस्टर रोल में हाजिरी दर्ज होने के बाद जनपद पंचायत द्वारा इंजीनियर को सूचना दी जाएगी, जिसके दो दिन के अंदर मूल्यांकन किया जाएगा। नियमों में यह भी कहा गया है कि बिना इलेक्ट्रानिक मस्टर रोल के भी इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर जारी किया जा सकता है। इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रासंफर आर्डर एनआरईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट करने के लिए मस्टररोल एन्ट्री भुगतान से पूर्व दर्ज करना अनिवार्य है।

byDVkfud etnjh lph ¼ot fyLV½

मूल्यांकित मस्टररोल की एन्ट्री एम.आई.एस. में दर्ज होने के बाद मस्टररोल मूल्याकंन के आधार पर मजदूरों को भुगतान योग्य राशि तथा मजदूरों के खातों की जानकारी सहित तैयार भुगतान सूची (वेज लिस्ट) एनआरईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार होती है। वेज लिस्ट मजदूरों के खाते में के अनुसार एनआरईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूर्ण की जाती है। इसका उपयोग मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में सॉफ्टकापी को प्रेषित किया जा सकता है। इलेक्ट्रानिक मस्टररोल एवं इलेक्ट्रानिक वेज लिस्ट एनआरईजीए सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन मोड एवं आफलाईन मोड में उपलब्ध है। ऑफ लाईन एन्ट्री के माध्यम से इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर करने के लिये वेज लिस्ट ऑन लाईन तैयार कर एफटीओ मय डिजिटल सिगनेचर के साथ ई–एफएमएस खाते में प्रेषित किया जाना जरूरी है।

fMftVy flxupj D;k g\

सिगनेचर को हिन्दी में हस्ताक्षर कहा जाता है। डिलिटल हस्ताक्षर का मतलब ऐसे हस्ताक्षर से है जो कम्प्युटर के द्वारा होते है। यह डिजिटल हस्ताक्षर व्यक्ति द्वारा कम्प्युटर में डाले जाते है। उक्त डिजिटल सिगनेचर व्यक्तिगत् अथवा संस्थागत रूप से जारी किये जाते हैं, जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि जानकारी सही व्यक्ति ने भेजी है या नहीं। यानी जानकारी भेजने वाला वही व्यक्ति है, जिसे जानकारी भेजना चाहिए थीं। डिजिटल सिगनेचर्स भेजी जाने वाली जानकारी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी जनपद पंचायत के सीईओ तथा सहायक लेखाधिकारी एवं लाईन विभाग के डीडीओ के डिजिटल सिगनेचर्स तैयार किये गए हैं।

etnjh Hkxrku dk rjhdk

मजदूरी भुगतान हेतु सबसे पहले एनआरईजीए सॉफ्टवेयर में दर्ज मस्टररोल के आधार पर वेज लिस्ट तैयार की जायेगी। उक्त वेज लिस्ट वेरीफाई करने के बाद जनपद पंचायत अथवा लाईन विभागों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके डिजिटल सिगनेचर के साथ एनआरईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से

lt; jktir
संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण
विकास संस्थान, जबलपुर

जिले के ई–एफएमएस खाते के माध्यम से भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी, जहां से इलेक्ट्रानिक माध्यम से राशि सीधे संबंधित मजदूर के खाते में हस्तांतरित होगी।

इलेक्ट्रानिक मस्टररोल पर दर्ज मजदूर यदि उपस्थित नहीं होते है तो उनको अनुपस्थित किया जा सकेगा। यदि मजदूर को कार्य आवंटन एवं कार्य प्रारंभ होने की तिथि की सूचना पूर्व में दी गई है एवं उसका नाम मस्टररोल पर होने के उपरांत वह कार्य पर उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अनुपस्थित दर्ज की जाएगी। यदि कार्य बीच में बंद हो जाये एवं मजदूरों को किसी अन्य कार्य पर रोजगार देना हो, तो ऐसी स्थिति में ई–मस्टर पर दर्ज मजदूर दूसरे मस्टर पर समान अवधि में कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि यदि ई–मस्टर में दर्ज मजदूरों को कार्य स्थगित होने की स्थिति में अन्य किसी कार्य पर आवंटन किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य को एम.आई.एस. में सस्पेंडेट किया जाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत उक्त मजदूरों को अन्य कार्य का इलेक्ट्रानिक मस्टररोल जारी किया जा सकेगा।

संबंधित जनपद पंचायत के अधिकारी के लंबी अवधि के अवकाश पर जाने, निलंबन होने अथवा वित्तीय अधिकार छीनने आदि की स्थिति में उक्त अवधि में शासन द्वारा घोषित लिंक अधिकारी (नजदीक की जनपद पंचायत के संबंधित अधिकारी) को उक्त कार्य सौंपा जावेगा। जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है वे अपने डिजिटल सिगनेचर्स के साथ एफटीओ बैंक को प्रेषित करेंगे।

डिजिटल सिगनेचर्स गुम हो जाने अथवा निलबंन आदि की स्थिति में डिजिटल सिगनेचर रिबोक करने हेतु जिले के माध्यम से मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा तथा नवीन डिजिटल सिगनेचर्स को कम्प्युटर में डालने की कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल सिगनेचर्स का पिन नंबर (गोपनीय नंबर) संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत ई–मेल आईडी पर प्राप्त होगा। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि संबंधित अधिकारी डिजिटल सिगनेचर आवेदन पर अपना व्यक्तिगत ई–मेल आईडी का उल्लेख करें।

lgdkjh cd e etnjk d [kkr gku ij byDVkfud Q.M VklQj dh ifØ;k

मजदूरी भुगतान हेतु सर्वप्रथम एनआरईजीए सॉफ्टवेयर में दर्ज मस्टररोल के आधार पर वेज लिस्ट तैयार की जायेगी। उक्त वेज लिस्ट वेरीफाई करने के उपरांत जनपद पंचायतों अथवा लाईन विभागों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके डिजिटल सिगनेचर के साथ एनआरईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिले के ई–एफएमएस खाते के माध्यम से भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। ई–एफएमएस खाते से उक्त राशि सहकारी (को–ऑपरेटिव बैंक) के कमर्शियल बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक स्थित खाते में हस्तांतरित होगी। को–ऑपरेटिव बैंक द्वारा उक्त राशि को संबंधित मजदूरों के खाते में हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

ikLV vkfQl d [kkrnkj etnjk dk etnjh Hkxrku dh ifd;k

मजदूरी भुगतान हेतु सबसे पहले एनआरईजीए सॉफ्टवेयर में दर्ज मस्टररोल के आधार पर वेज लिस्ट तैयार की जायेगी। उक्त वेज लिस्ट वेरीफाई करने के उपरांत जनपद पंचायतों अथवा लाईन विभागों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके डिजिटल सिगनेचर के साथ एनआरईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिले के ई–एफएमएस खाते के माध्यम से भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। ई–एफएमएस खाते से उक्त राशि हेड पोस्ट ऑफिस के कमर्शियल बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक स्थित खाते में हस्तांतरित होगी। पोस्ट ऑफिस द्वारा उक्त राशि को संबंधित मजदूरों के खाते में हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

xke ipk;r ,o vU; fØ;kUo;u ,tlh

अब ग्राम पंचायतों एवं लाईन विभागों (अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों) के बैंक खाते नहीं होंगे। समस्त एजेंसियों द्वारा मजदूरी, सामग्री तथा प्रशासनिक भुगतान जिला स्तरीय ई–एफएमएस खाते के माध्यम से होगा। ई–एफएमएस के बाद ग्राम पंचायतों को टॉपअप करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ग्राम पंचायत तथा लाईन विभागों को जिला अथवा जनपद पंचायत के पास राशि की मांग प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं करना होगा।

ई–एफएमएस के बाद ग्राम पंचायतों की व्यय की सीमा के निर्धारण के संबंध में उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों को टॉपअप सीमा का इस योजना के क्रियान्वयन होने के बाद कोई औचित्य नहीं होगा। इस हेतु कोई बजट आवंटन अथवा बजट सीमा की आवश्यकता नहीं होगी। अतः ग्राम पंचायत एनआरईजीए प्रावधानों के अनुसार रोजगार की मांग के अनुरूप ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यो पर होने वाले व्यय की सीमा को ग्राम पंचायत की सीमा व बजट होगा। लाईन विभाग की व्यय सीमा के संबंध में उल्लेखनीय है कि लाईन विभाग द्वारा योजनान्तर्गत मापदण्डों का पालन करते हुये क्रियान्वित कार्यो के अनुरूप लाईन विभाग के कार्यो पर होने वाले व्यय ही उनकी व्यय सीमा होगी।

पंचायत समाचार

पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेह पंचायत निकाय पुरस्कृत

जिला पंचायत हरदा एवं मुरैना, जनपद पंचायत घाटीगांव और मन्दसौर तथा 12 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार

HkkikyA केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों के सशक्तिकरण एवं जवाबदेह प्रशासन पुरस्कार योजना में इस वर्ष जिला पंचायत हरदा एवं मुरैना को पुरस्कृत किया गया। इन जिला पंचायतों को पुरस्कार स्वरूप 50–50 लाख की राशि एवं प्रशक्ति पत्र 4 सितम्बर को भोपाल में प्रदान किए गए।

केन्द्र सरकार ने पंचायतों के सशक्तिकरण एवं जवाबदेह प्रशासन को प्रोत्सहित करने के लिए यह पुरस्कार योजना लागू की है। योजना में श्रेष्ठ रूप से विकास कार्य एवं पंचायत के दायित्वो का निर्वहन करले वाली 3 स्तर की पंचायत, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2013 में जिला पंचायत हरदा एवं मुरैना को श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार स्वरूप 50–50 लाख रूपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, वहीं जनपद पंचायत घाटीगांव और मंदसौर को 25–25 लाख रूपए एवं प्रशक्ति पत्र भेंट किया गया।

प्रदेश की 12 ग्राम पंचायतों को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया, जिन्हें आठ–आठ लाख रूपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इनमें हरदा जिले की ग्राम पंचायत छिदगांवमेल, आबगांवखुर्द, आगुरली, जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत धौदा, सागर जिले की ग्राम पंचायत संजारा, बिछिया, खेजड़ाउद्देत है। ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत नयागांव और राजगढ जिले की ग्राम पंचायत करेड़ी को भी पुरस्कृत किया गया।

इन पंचायतों ने नियमित बैठकों का आयोजन, सदस्यों की शत–प्रतिशत उपस्थिति, बैठक के निर्णयों की पालना, ग्रामसभा की नियमित बैठक की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत के कार्यो में सोशल ऑडिट, ग्रामसभा की आम सहमति से हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट तैयार करना, करा–रोपण से पंचायत की आमदनी बढ़ाया जाना एवं विकास योजना के लिए प्राप्त धन राशि का समुचित रूप से उपयोग किया जाना प्रमुख रहा है। इन पंचायतों में महिला विकास की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया।

50 हजार से अधिक गाँवों के मास्टर प्लान बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य

2015-16 की जिला योजना तैयार करने का सभी कलेक्टवरों को निर्देश। जिला योजना 25 अक्टूलबर तक बेवसाईड पर रखी जाएगी।

भोपाल। विकेन्द्रीकृत नियोजन की अवधारणा को अमल में लाते हुए प्रदेश के सभी 50 हजार 982 गाँवों के मास्टर प्लान बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था। मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। उनसे 2015-16 की जिला योजना तैयार करने को भी कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि ग्रामीणों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे गये कार्य को सबसे पहले किया जाये। ऐसा न करने पर जिले की योजना मंजूर नहीं की जायेगी। इस बड़े कार्य को लगभग एक करोड़ 95 लाख ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से अंजाम दिया गया है। इस कार्य में 1250 स्वयंसेवी संस्था, 50 हजार से अधिक जन-प्रतिनिधि, 10 हजार 400 तकनीकी सहायता दल और 62 हजार 400 जमीनी अमले ने भी सक्रिय सहभागिता की। मास्टर प्लान में विशेष रूप से पेयजल, बारहमासी सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं, खाद्य सुरक्षा सहित अन्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है।

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने योजना एवं क्रियान्वयन पर फोकस करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि समुदाय की ओर से की गई विकास की माँग और सुझावों पर विभाग प्राथमिकता से कार्य करें। इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जायेगा और वर्ष 2015-16 में विकेन्द्रीकृत जिला योजना में भी इसके पालन पर जोर रहेगा। कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2015-16 को क्रियान्वयन वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। शत-प्रतिशत क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है।

जिला कलेक्टरों को वर्ष 2015-16 की जिला योजना बनाने के लिये कार्यक्रम और समय-सारणी तैयार कर भेजी गई है। ग्राम मास्टर प्लान में समुदाय की माँग वाली गतिविधियों में से अनेक गतिविधियाँ संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं। निर्देश में कहा गया है कि इस स्थिति को देखते हुए जिला निर्माण प्रक्रिया में वर्ष 2015-16 के लिये परिवर्तन करते हुए नई सामुदायिक माँगों को न जोड़ते हुए पूर्व में स्वीकृत गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाये। वर्ष 2015-16 की नियोजन प्रक्रिया की तकनीकी सहायता दलों द्वारा विगत वर्षों की तरह नियोजन इकाइयों का ग्राम स्तरीय भ्रमण किया जाये। इस वर्ष पुनः नवीन सामुदायिक माँगों को न जोड़ते हुए पूर्व में समुदाय द्वारा माँग की गतिविधियों पर पुनः समुदाय से चर्चा कर स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति तथा शेष गतिविधियों का वेलिडेशन किया जाये। प्राथमिकताएँ दोबारा निर्धारित कर उन्हें संबंधित विभाग की योजना से जोड़ा जाये।

कलेक्टरों से कहा गया है कि वे साप्ताहिक टीएल बैठक में मास्टर प्लान के कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/नगरीय वार्ड आदि नियोजन इकाई आदि पुष्टि करवा कर समेकित जिला योजना का प्रारूप तैयार कर 25 अक्टूबर 2014 तक योजना आयोग की वेबसाइट पर प्रविष्टि करवाने को कहा गया है। राज्य शासन ने निर्देश दिया है कि ग्राम मास्टर प्लान की सभी अनुमोदित गतिविधियों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाये। जो कार्य पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा कर उन्हें पूर्ण करवाया जाये।

स्कूल के लिए सरपंच ताजुन्निशा का संघर्ष

jhokA पंचायत के सार्वजनिक संसाधनों पर दबंगों के एकाधिकार को चुनौती देने वालों में सरपंच ताजुन्निशा का नाम जाना जाता है। वे मध्यप्रदेश के रीवा जिले की जनपद पंचायत सिरमौर में शामिल ग्राम पंचायत चौरा की सरपंच है। इस पंचायत में कुछ लोगों का दबदबा पहले से ही रहता आया है। ताजुन्निशा के सरपंच बनने के बाद भी उनकी यह उम्मीद थीं कि महिला सरपंच सिर्फ नाम के लिए सरपंची करें, तथा फैसले लेने का अधिकार गांव के कुछ पुरूषों के हाथों में रहें। किन्तु सरपंच ताजुन्निशा ने उनकी इस मंशा को पूरा होने नहीं दिया। सरपंच बनने के बाद वे खुद पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करने लगी और सभी फैसले पंचों से चर्चा करके लो. कतांत्रिक तरीके से लेने लगी।

यहां एक महत्वपूर्ण घटना शाला भवन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की है। पूर्व सरपंच द्वारा स्कूल बिल्डिंग का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था और शासन की राशि को निकालकर उसको अपने निजी उपयोग में ले लिया था। जब सरपंच ताजुन्निशा ने पंचायत का कार्यभार सम्हाला, तो पाया कि स्कूल के इस अधूरे भवन पर पूर्व सरपंच का कब्जा है और वह अपने निजी कामों में इसका उपयोग कर रहा है। इस पर सरपंच ताजुन्निशा ने पूर्व सरपंच से शाला भवन को खाली करने के लिए कहा, ताकि उसका अधूरा काम पूरा करवाकर बच्चों की शिक्षा में उसका उपयोग किया जा सकें। किन्तु पूर्व सरपंच ने शाला भवन खाली करने से इंकार कर दिया और सरपंच को धमकी देने लगा कि यदि आगे इस मुद्दे पर कोई बात की तो ठीक नहीं होगा।

इस घटना के बाद सरपंच ताजुन्निशा द्वारा पंचायत की बैठक बुलाई गई और सारी बातें उन्हें बताई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यह शाला भवन सरकारी सम्पत्ति है, जिस पर ग्रामवासियों तथा बच्चों का हक है। अतः पंचायत के हकों की रक्षा के लिए इस भवन को खाली करवाया जाए। यदि वे अपनी मर्जी से भवन खाली नहीं करे तो महिलाओं एवं ग्रामवासियों को एकत्र कर उसमें रखा उनका सामना बाहर निकालकर खाली करवाया जाए।

vfrØe.k lseDr gqvk Ldwy

इस फैसले के बाद सभी महिला जनप्रति. निधि उस बिल्डिंग में पहुंची और ताला तोड़कर पूरा सामान बाहर निकाल दिया और तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर स्कूल भवन के अधूरे काम को पूरा करवाया गया और अपना ताला लगा दिया गया। अब इस भवन में कोई विवाद नहीं है। सरपंच ताजुन्निशा ने विधायक को आमंत्रित कर इस भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित करवाया। रीवा जिले की ग्राम पंचायत चौरा की ताजुन्निशा जब सरपंच निर्वाचित हुई तो गांव के कुछ दबंग लोगों ने सोचा था कि वे इस महिला के नाम पर पंचायत पर खुद अपना एकाधिकार कायम रख सकेंगे। किन्तु ताजुन्निसा ने दबंगों के इस मन्सूबे पर पानी फेर दिया। आज वे खुद पंचायत के काम–काज संभाल रही है और पंचायत के फैसले पंचों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लेती है। महिला पंचों ने संगठित ताकत और साहस से गांव के स्कूल भवन को दबंगों के कब्जे से मुक्त करवाने में सफलता मिली।

पंचम्

36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

सदस्य का नाम _____

वर्तमान पद _____

ग्राम पंचायत का नाम _____

ग्राम _____

पोस्ट _____

तहसील _____

जिला _____

राज्य _____

सदस्यता राशि का ब्यौरा

◆वार्षिक-80 रु. ◆द्विवार्षिक-150 रु. ◆त्रिवार्षिक-200 रु.
◆पंचवार्षिय-400 रु. ◆ आजीवन-5000 रु.

कृपया हमारी ग्राम पंचायत/पुस्तकालय/मुझे पंचायतों एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख समाचार पत्र पंचम् की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर भेशने की कृपा करें। सदस्यता राशि नगद/मनी आर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रुपये (अंकों में) .....
(शब्दो में).....
..... दिनांक ..... संलग्न है।
पावती भेजने की व्यवस्था करें।

हस्ताक्षर

स्थान: .....

नाम एवं पता

दिनांक .....

आपकी पंचायत से संबंधित लेख, रिपोर्ट और खबरें आमंत्रित

'पंचम' पंचायती राज जन-प्रतिनिधियों का अपना समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज से जुड़ी समस्याएं, सुझाव, प्रमुख योजनाओं एवं ग्राम विकास से संबंधित प्रमुख जानकारियों के साथ पंचायती राज के सशक्तिकरण करने कि दिशा में जन-प्रतिनिधियों की भूमिका, जिम्मेदारी, चुनौतियां, उनके द्वारा किये गये प्रयासो को प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है ताकि सामुदायिक विकास कार्यो में सहभागी निर्णय प्रक्रिया के द्वारा शासन-प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। आप भी अपने कार्य क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने/लिखने के लिये प्रेरित कर सकते हैं अथवा उनसे बातचीत के आधार पर आप स्वंय लिख कर माह के 5 तारीख तक फोटोग्राफ के साथ हमें अवश्य भेज दें ताकि समुचित स्थान मिल सके।

आपके सवाल व समाधान

पिछले 16 सालों से यह अनुभाव हुआ है कि प्रदेश की पंचायत और प्रतिनिधियों से जुड़ी कई कठनाईयों होती हैं जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर नही हो पा रहा है अपने अधिकारों की एवं शासकीय आदेश निर्देश की शानकारी सुलभ नही हो पाती है। जिसके कारण आम आदमी से लेकर पंचायत तक दर-दर भटकना पड़ता है। इस समस्या का हल खोजने के पंचम आपके सवाल व समाधान के नाम से एक साझा मंच आपके सामने प्रस्तुत रहा है। जिसमें आप अपने सवाल हमें निर्धारित प्रारूप में भेज सकते हैं। जिसके जवाब हम संबंधित विभाग के अधिकारी से पूछेंगे और उनके जवाबों को अगले अंको में प्रकाशित करते रहेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आगे बढ़कर सुशासन को प्रभावी बनाने के इस साझे मंच का उपयोग करेगे।

सवाल व समाधान

नाम.....

..... ग्राम पंचायत का नाम .....

जनपद पंचायत ..... जिला .....

अपना सवाल इस पते पर भेजें-
36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

अनूठी बात

ऐसी है ग्राम पंचायत बरथून!

ग्राम पंचायत बरथून में सूचना के अधिकार के तहत आने वाले आवेदनों का तुरन्त नि:शुल्क निपटारा किया जाता है। सरपंच घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने की बात करते है। ग्रामसभा की सूचना लाउडस्पीकर से दी जाती है।

UkhepA जिले की मनासा तहसील की ग्राम पंचायत बरथून अनूठी है। यहां के सरपंच दीनबंधु बैरागी ने अपने स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा, स्वच्छता, राजस्व, ग्रामसभा, मुख्यमंत्री आवास योजना, पेयजल, पौधारोपण, सूचना का अधिकार, जनसंख्या नियंत्रण, जल संग्रहण के लिए इस पंचायत ने जो व्यवस्थाएं की है वह अन्य ग्राम पंचायतों के लिए अनुकरणीय है।

इस बार शिक्षा सत्र शुरू होते ही सरपंच ने अप्रवेशी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए घर-घर जाकर पाल. कों से निवेदन किया। बच्चों को काम पर भेजने के बजाय स्कूल के लाभ गिनाए। इससे यहां का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। अर्द्धघुम्मकड़ गाड़ोलिया लोहार जाति की बालिका को शिक्षा दिलाने के लिए परिवार को स्थाई बसेरा इंदिरा आवास दिया, जिससे आज वह बालिका दसवी कक्षा की विद्यार्थी है।

बरथून गांव में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आती। गांव की सफाई के लिए हर परिवार से 5 रूपए का शुल्क लिया जाता है, ताकि शुल्क देने पर सफाई न होने की दशा में ग्रामीण पंचायत को शिकायत कर सकें। ग्राम पंचायत के करों की वसूली के लिए गरीब तथा सम्पन्न दोनों वर्गो के लिए योजना बनाई है। जिससे गरीब वर्ग मजदूरी करके तथा सम्पन्न वर्ग अपने साधन-संसाधन का उपयोग करके टेक्स की राशि जमा कर सकता है। इसमें भी करदाता की क्षमता को प्राथमिकता दी गई है। इससे पंचायत को अच्छी आय हो रही है।

तत्कालीन कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने अन्य पंचायतों की तुलना में अच्छी स्थानीय आय अर्जित करने पर सरपंच का सम्मान किया है। बैरागी ने ग्रामसभा की बैठक की सूचना की जो व्यवस्था की है, उससे ग्रामसभा की सार्थकता नजर आती है। लाउड स्पीकर से पूरे गांव में ग्रामसभा की बैठक की सूचना दी जाती है, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में ग्रामसभा में उपस्थित हो सकें।

इस पंचायत में मुख्यमंत्री आवास योजना बेहतर ढंग से लागू की गई है। आवास के लिए सरपंच ने सबसे पहले अपने कब्जे की जमीन छोड़ी, जिससे गांव के अन्य लोगों को भी अपने अतिक्रमण की जमीन छोड़नी पड़ी। क्षेत्र में 2 हजार वर्ग फिट के 50 आवास देने वाली यह विशेष ग्राम पंचायत है। इसके लिए तत्कालीन आयुक्त श्री अरूण पांडे ने गांव पहुंचकर सरपंच श्री बैरागी की प्रशंसा की।

ग्राम पंचायत में 30 रूपए मासिक शुल्क पर नियमित पेयजल वितरित किया जाता है। पेयजल राशि को जोड़कर उन्होंने पौधारोपण की योजना बनाई, जिसमें यदि स्थानीय निवासी एक पौधा लगाता है तो उसे पेयजल में 10 रूपए प्रति पौधे के मान से रियायत मिलेगी। अर्थात वर्ष में यदि कोई ग्रामीण 3 पौधे लगाकर उसकी दो साल तक साल-संभाल करता है तो उसका दो साल का पेयजल शुल्क माफ कर दिया जाता है। साथ ही इस ग्राम पंचायत में कई स्टाप डेम, कंटूर ट्रेंच, तालाब बनवाएं गए हैं।

सूचना के अधिकार के आवेदनों का तुरन्त निराकरण कर मांगी गई जानकारी नि:शुल्क देने की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत में है। सरपंच बैरागी ने पंचायत में जो रचनात्मक काम किए, उन कार्यो का अन्य ग्राम पंचायते भी अनुकरण करें, इस बात का प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें भोपाल बुलाया गया, जहां एम पी सेडकाम के माध्यम से जिला एवं जनपद पंचायतों में सीधे प्रसारण से सरपंचों को प्रशिक्षित किया गया।

ग्राम पंचायत बरथून सिर्फ सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सी की तरह नहीं है, बल्कि यहां लोग मिलजुलकर गांव की विकास योजना बनाते हैं। नए नियम कायदे बनाए जाते हैं और वे ग्रामसभा में चर्चा एवं अनुमोदन के बाद लागू किए जाते हैं। इस तरह यहां स्थानीय स्वशासन का वास्तविक रूप देखा जा सकता है।

हेल्पलाईन

हेल्पलाईन पर पूछे, समझे, और उपयोग करे
आपकी मदद के लिये तत्पर हेल्पलाईन नं. 0755-2467625, 4993147
पंचायत राज महासंघ सचिवालय
36, ग्रीन एवेन्यु, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश

स्वामी एवं प्रकाशक पंचायती राज महासंघ के लिए सचिव पंचायती राज महासंघ द्वारा प्रकाशित एवं केपीटल प्रिंटर्स ए-1, प्लाट नं 7 प्रेस काम्पलेक्स एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित एवं 36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- लता गुडडू वानखेड़े, कार्यकारी संपादक-राजेन्द्र बंधु, संपादकीय सलाहकार मंडल, ब्रजकिशोर डण्डोतिया, चतुरेश सेन, श्याम श्रीवास्तव, आशुतोष रजक। मुद्रित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी एक्ट के तहत जिम्मेवार, न्यायिक क्षेत्र-भोपाल। सहयोग- समर्थन, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2467625, 4993147